रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062024-254941
CG-DL-E-26062024-254941

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 431] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 25 2024/ आषाढ 4, 1946
No. 431] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 25, 2024/ ASHADHA 4, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 25 जून, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/184—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (छ) और धारा 12क के खंड (घ) एवं खंड (ङ) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा ।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से नब्बवें दिन लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 में,-

   I. विनियम 5 में, उप-विनियम (2) में,

      (1) खंड (i) में,

(क) शब्दों "योजना के सार्वजनिक प्रकटीकरण से छह महीनों" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "प्लान (योजना) की जानकारी सार्वजनिक किए जाने की तारीख से एक सौ बीस कैलेंडर दिनों" आ जाएँगे;

(ख) टिप्पण में, शब्दों तथा चिह्न "व्यापार योजना का लाभ पाने के लिए, छह महीनों" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "ट्रेडिंग प्लान (व्यापार योजना) का लाभ पाने के लिए एक सौ बीस कैलेंडर दिनों" आ जाएँगे;

(ग) टिप्पण में, शब्दों तथा चिह्नों "ऐसी अवधि उस अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी, जो व्यापार योजना बनाते समय अंतरंग व्यक्ति के कब्जे में हो, के साधारणतः उपलब्ध जानकारी बनने" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "कंपनियाँ अपने परिणाम तिमाही आधार पर घोषित करती हैं, और तिमाही के समाप्त होने की तारीख से लेकर तिमाही के परिणाम घोषित किए जाने की तारीख (ऐसा अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर कंपनियाँ तिमाही समाप्त होने से लगभग एक महीने बाद ही तिमाही के परिणाम घोषित करती हैं) से दो दिनों तक इन विनियमों के अनुसार ट्रेडिंग पर पाबंदी होती है। इसलिए, एक सौ बीस कैलेंडर दिनों की अवधि अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी [जो ट्रेडिंग प्लान बनाते समय अंतरंग व्यक्ति (इनसाइडर) के पास हो] के आम जनता हेतु उपलब्ध होने (के साधारणतः उपलब्ध जानकारी बनने)" आ जाएँगे;

(2) खंड (ii) और उसका टिप्पण हट जाएगा;

(3) खंड (iii) और उसका टिप्पण हट जाएगा;

(4) खंड (v) में,

(क) शब्दों तथा चिह्नों "या तो किये जाने वाले व्यापारों (ट्रेड) के मूल्य का या फिर जिन प्रतिभूतियों का व्यापार (ट्रेड) किया जाना हो उन प्रतिभूतियों की संख्या का, व्यापार (ट्रेड) के स्वरूप के साथ-साथ, और उन अंतरालों, या उन तारीखों का उल्लेख होगा, जब ऐसे व्यापार (ट्रेड) किये जायेंगे; और" के स्थान पर निम्नलिखित आ जाएगा, अर्थात्:-

"किए जाने वाले प्रत्येक ट्रेड के लिए निम्नलिखित का उल्लेख किया जाएगा:

(i) या तो किए जाने वाले ट्रेड के मूल्य का या फिर जिन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में ट्रेड किया जाना हो उन प्रतिभूतियों की संख्या का;

(ii) ट्रेड के स्वरूप का;

(iii) या तो किसी निश्चित तारीख का या फिर समयावधि (जो ट्रेडिंग के लगातार पाँच दिनों से अधिक की न हो) का;

(iv) कीमत-सीमा का, यानि कि खरीदते समय ज्यादा से ज्यादा कितनी कीमत दी जाए और बेचते समय कम से कम कितनी कीमत ली जाए, बशर्ते कि:

क. खरीदने के लिए अधिकतम सीमा होगी: जिस दिन ट्रेडिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए उससे एक दिन पहले के बंद भाव और उससे बीस प्रतिशत अधिक तक की रकम के बीच की कोई कीमत;

ख. बेचने के लिए न्यूनतम सीमा होगी: जिस दिन ट्रेडिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए उससे एक दिन पहले के बंद भाव और उससे बीस प्रतिशत कम तक की रकम के बीच की कोई कीमत।

स्पष्टीकरण:

(i) उप-खंड (i), (ii) एवं (iii) में जो-जो बताया गया है, उसका उल्लेख तो प्रत्येक ट्रेड हेतु अनिवार्य रूप से करना होगा, जबकि उप-खंड (iv) में जिसका उल्लेख करने की बात कही गई है उसका उल्लेख करना अनिवार्य नहीं होगा।

(ii) उप-खंड (iv) के अनुसार जो कीमत-सीमा बताई जाएगी उसके हिसाब से जो रकम बनेगी, उसे उसके निकटतम अंक में पूर्णांकित किया जाएगा ।

(iii) ट्रेडिंग प्लान को मंजूरी प्रदान किए जाने के बाद यदि कारपोरेट एक्शन के तौर पर बोनस इश्यू लाया जाए या स्टॉक स्प्लिट (यानि कि एक शेयर को ही दो या उससे अधिक शेयरों में बाँट दिया जाए) किया जाए, तो ऐसे में अंतरंग व्यक्ति (इनसाइडर), अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) की मंजूरी लेकर, प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की संख्या में और कीमत-सीमा में बदलाव कर सकेगा, जिसकी जानकारी उन स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाएगी जहाँ वे प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों ।"

(ख) टिप्पण में, शब्दों तथा चिह्न "समय-अंतराल" के स्थान पर शब्द "समयावधि" आ जाएगा;

(ग) टिप्पण में, शब्दों तथा चिह्न "किये जा सकेंगे ।" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "की जा सकेगी । हालाँकि, अधिकतम समयावधि निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि अगर इससे अंतरंग व्यक्ति (इनसाइडर) को अलग-अलग तारीखों पर अपने ट्रेड करने की अनुमति मिल भी जाए, तब भी समयावधि इतनी लंबी न हो जाए कि गलत इस्तेमाल की गुंजाइश पैदा हो जाए ।

इसके अलावा, कीमतों में होने वाले अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव का असर अंतरंग व्यक्ति (इनसाइडर) पर न पड़े, इसके लिए वह ट्रेडिंग प्लान का खाका तैयार करते समय, इन विनियमों में दिए हुए दायरे के भीतर कीमत-सीमा निर्धारित कर सकेगा ।" आ जाएँगे ।

II. विनियम 5 में, उप-विनियम (3) के दूसरे परंतुक में, शब्द तथा चिह्न "और कॉण्ट्रा ट्रेड संबंधी प्रतिबंध (निर्बंधन)" हट जाएँगे ।

III. विनियम 5 में, उप-विनियम (4) में,

(1) शब्दों "एक बार अनुमोदित हो जाने के पश्चात् व्यापार योजना अप्रतिसंहरणीय होगी और अंतरंग व्यक्ति को अनिवार्यत: योजना कार्यान्वित करनी होगी" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "एक बार मंजूरी मिल जाने के बाद ट्रेडिंग प्लान (व्यापार योजना) को निरस्त नहीं किया जा सकेगा और अंतरंग व्यक्ति (इनसाइडर) को अनिवार्य रूप से उस प्लान को अमल में लाना होगा" आ जाएँगे;

(2) शब्दों तथा चिह्नों "और इस प्रकार न तो वह इससे विचलित होने का हकदार होगा और न ही वह व्यापार योजना के दायरे से बाहर प्रतिभूतियों में कोई व्यापार (ट्रेड) करने का हकदार होगा" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "और इस प्रकार उसे प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में ट्रेड ट्रेडिंग प्लान के दायरे में रहकर ही करना होगा, हालाँकि वह ट्रेडिंग प्लान के दायरे से बाहर प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में ट्रेड तभी कर सकेगा जब वह स्थायी तौर पर अक्षम हो जाए या दिवालिया हो जाए या फिर उसके लिए कानूनी प्रावधानों के लागू हो जाने की वजह से ट्रेडिंग प्लान के दायरे में रहकर प्रतिभूतियों में ट्रेड करना मुमकिन न हो" आ जाएँगे;

(3) परंतुक अब इस प्रकार पढ़ा जाएगा: "परंतु यह कि ट्रेडिंग प्लान बनाते समय अंतरंग व्यक्ति (इनसाइडर) के पास जो अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी हो, यदि वह ट्रेडिंग प्लान को अमल में लाना शुरू किए जाने के समय आम जनता के लिए उपलब्ध (साधारणत: उपलब्ध) न हुई हो, तो ऐसे में ट्रेडिंग प्लान को अमल में लाना शुरू नहीं किया जाएगा ।";

(4) उसके मौजूदा परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण जोड़े जाएँगे, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि यदि अंतरंग व्यक्ति (इनसाइडर) उप-विनियम (2) के खंड (v) के उप-खंड (iv) के अनुसार ट्रेड हेतु कीमत-सीमा निर्धारित कर चुका हो, तो ऐसे में अंतरंग व्यक्ति (इनसाइडर) वह ट्रेड केवल तभी करेगा जब प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) में ट्रेड उस सीमा के दायरे में ही किसी कीमत पर हो रहा हो । यदि प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) की कीमत अंतरंग व्यक्ति (इनसाइडर) द्वारा निर्धारित की गई कीमत-सीमा के दायरे में न हो, तो ऐसे में ट्रेड नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण: यदि उप-विनियम (4) में बताए गए कारणों से या फिर स्क्रिप में पर्याप्त अर्थसुलभता (लिक्विडिटी) न होने की वजह से ट्रेड न हो पाने के कारण ट्रेडिंग प्लान को अमल में न लाया जाए (फिर चाहे पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से), तो ऐसे में नीचे दी हुई प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

(i) अंतरंग व्यक्ति (इनसाइडर) इस प्रकार ट्रेडिंग प्लान को अमल में न लाए जाने (फिर चाहे पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से) की जानकारी, ट्रेडिंग प्लान की अवधि समाप्त होने की तारीख से ट्रेडिंग के दो दिनों के भीतर, अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) को देगा और इस प्रकार जानकारी देते समय उसके कारण भी बताएगा तथा उससे संबंधित जरूरी दस्तावेज (यदि कोई हों) भी प्रस्तुत करेगा ।

(ii) अंतरंग व्यक्ति (इनसाइडर) की ओर से जानकारी मिलने पर, अनुपालन अधिकारी, वह जानकारी अंतरंग व्यक्ति (इनसाइडर) के निवेदन को मंजूर या नामंजूर किए जाने की सिफारिश करते हुए, लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमेटी) के समक्ष उसकी ठीक अगली बैठक में रखेगा । लेखापरीक्षा समिति इस संबंध में निर्णय लेगी कि ट्रेडिंग प्लान को अमल में न लाने (फिर चाहे पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से) के पीछे जो वजह थी वह जायज थी या नहीं ।

(iii) लेखापरीक्षा समिति के निर्णय की जानकारी अनुपालन अधिकारी उसी दिन उन स्टॉक एक्सचेंजों को दे देगा, जहाँ प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों ।

(iv) यदि लेखापरीक्षा समिति अंतरंग व्यक्ति द्वारा किए गए निवेदन को नामंजूर कर दे, तो ऐसे में अनुपालन अधिकारी आचार संहिता के अनुसार कार्रवाई करेगा ।";

(5) टिप्पण में, शब्दों "बाजार में दूसरों ने प्रतिभूतियों के संबंध में अपनी राय कायम की हो" के बाद और चिह्न "।" से पहले चिह्न तथा शब्द ", हालाँकि उन परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकेगी, जो अंतरंग व्यक्ति (इनसाइडर) के नियंत्रण से परे हों" जोड़े जाएँगे;

(6) टिप्पण के दूसरे पैरा में,

(क) शब्द "परंतुक" से पहले दिए हुए शब्दों "दिये गये" के स्थान पर शब्द "दिए गए पहले" आ जाएँगे;

(ख) शब्दों "छह महीने" के स्थान पर शब्द "एक सौ बीस कैलेंडर दिनों" आ जाएँगे;

शब्दों तथा चिह्नों "यदि वही अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी अब भी अंतरंग व्यक्ति के कब्जे में हो, तो व्यापार योजना के निष्पादन के प्रारंभ को आस्थगित कर दिया जाना (टाल देना) चाहिए" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "यदि वही अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी अब भी अंतरंग व्यक्ति (इनसाइडर) के पास हो, तो ऐसे में ट्रेडिंग प्लान (व्यापार योजना) पर अमल करना शुरू न किया जाए" आ जाएँगे;

(7) टिप्पण के दूसरे पैरा के बाद, निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"दूसरा परंतुक यह ध्यान में रखकर जोड़ा गया है कि अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि अंतरंग व्यक्ति (इनसाइडर) किसी ट्रेड के लिए कोई कीमत-सीमा निर्धारित तो कर दे, लेकिन बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव होने की वजह से प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) की कीमत अंतरंग व्यक्ति द्वारा निर्धारित की गई कीमत-सीमा के दायरे से बाहर हो जाने के कारण ट्रेड न हो पाए । हालाँकि, बाजार में कीमत में उतार-चढ़ाव होने के बावजूद भी यदि अंतरंग व्यक्ति ट्रेड करना चाहे, तो वह ट्रेडिंग प्लान बनाते समय कोई कीमत-सीमा निर्धारित न करे ।"

IV. विनियम 5 में, उप-विनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्:-

"अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) ट्रेडिंग प्लान प्राप्त होने की तारीख से ट्रेडिंग के दो दिनों के भीतर या तो ट्रेडिंग प्लान को मंजूर करेगा या फिर नामंजूर करेगा, और इस प्रकार जिस दिन उसे मंजूरी प्रदान की जाएगी उसी दिन वह उसकी जानकारी उन स्टॉक एक्सचेंजों को देगा जहाँ प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों ।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./200/2024-25]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/21/85, 15 जनवरी 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 तत्पश्चात्,-

   i. 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/59, द्वारा

   ii. 21 जनवरी, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एलएडी-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/02, द्वारा

   iii. 25 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/23, द्वारा

   iv. 17 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/32, द्वारा

   v. 17 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/23, द्वारा

   vi. 29 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/38, द्वारा

   vii. 26 अप्रैल, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/17, द्वारा

   viii. 5 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/37, द्वारा

   ix. 24 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/108, द्वारा

   x. 17 मई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/181, द्वारा

   संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th June, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PROHIBITION OF INSIDER TRADING) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/184—In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (g) of sub-section (2) of section 11 and clauses (d) and (e) of section 12A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, namely: —

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2024.

2. They shall come into force on the ninetieth day from the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, -

   I. in regulation 5, in sub-regulation (2),

      (1) in clause (i),

(a) the words “six months” shall be substituted by the words “one hundred and twenty calendar days”;

(b) in the note, the words “six months” shall be substituted by the words “one hundred and twenty calendar days”;

(c) in the note, the words “Such a” shall be substituted by the words and symbols “Companies declare their results quarterly and there exists a trading restriction, in terms of these Regulations, from quarter end to two days after declaration of quarterly result, which, it is seen, is generally a period of around one month for most companies. Thus, one hundred and twenty calendar days”.

(2) clause (ii) and the note thereto shall be omitted;

(3) clause (iii) and the note thereto shall be omitted;

(4) in clause (v),

(a) the words and symbols “set out either the value of trades to be effected or the number of securities to be traded along with the nature of the trade and the intervals at, or dates on which such trades shall be effected; and” shall be substituted by the following, namely: -

“set out following parameters for each trade to be executed:

(i) either the value of trade to be effected or the number of securities to be traded;

(ii) nature of the trade;

(iii) either specific date or time period not exceeding five consecutive trading days;

(iv) price limit, that is an upper price limit for a buy trade and a lower price limit for a sell trade, subject to the range as specified below:

a. for a buy trade: the upper price limit shall be between the closing price on the day before submission of the trading plan and upto twenty per cent higher than such closing price;

b. for a sell trade: the lower price limit shall be between the closing price on the day before submission of the trading plan and upto twenty per cent lower than such closing price.

Explanation:

(i) While the parameters in sub-clauses (i), (ii) and (iii) shall be mandatorily mentioned for each trade, the parameter in sub-clause (iv) shall be optional.

(ii) The price limit in sub-clause (iv) shall be rounded off to the nearest numeral.

(iii) Insider may make adjustments, with the approval of the compliance officer, in the number of securities and price limit in the event of corporate actions related to bonus issue and stock split occurring after the approval of trading plan and the same shall be notified on the stock exchanges on which securities are listed.”

(b) in the note, the word “intervals” shall be substituted by the word “period”;

(c) in the note, after the words and symbol “may be set out in the plan.”, the words and symbol “However, there should be an outer limit on the duration of the time period, so that while it allows the insider to split their trades across different dates, duration should not be so long that it is prone to misuse.

Further, to protect the insider from unexpected price movements, he may, at the time of formulation of trading plan, provide price limits within the range specified in these Regulations.” shall be inserted.

II. in regulation 5, in second proviso to sub-regulation (3), the words “and restrictions on contra trade” shall be omitted.

III. in regulation 5, in sub-regulation (4),

(1) the words “deviate from it or to” shall be omitted;

(2) after the words “outside the scope of the trading plan” and before the symbol “.”, the words “or to deviate from it except due to permanent incapacity or bankruptcy or operation of law”, shall be inserted;

(3) in the proviso, the words and symbols "and in such event the compliance officer shall confirm that the commencement ought to be deferred until such unpublished price sensitive information becomes generally available information so as to avoid a violation of sub-regulation (1) of regulation 4" shall be omitted;

(4) after the existing proviso thereto, the following proviso and Explanation shall be inserted, namely: -

"Provided further that if the insider has set a price limit for a trade under sub-clause (iv) of clause (v) of sub-regulation 2, the insider shall execute the trade only if the execution price of the security is within such limit. If price of the security is outside the price limit set by the insider, the trade shall not be executed.

Explanation: In case of non-implementation (full/partial) of trading plan due to either reasons enumerated in sub-regulation 4 or failure of execution of trade due to inadequate liquidity in the scrip, the following procedure shall be adopted:

(i) The insider shall intimate non-implementation (full/partial) of trading plan to the compliance officer within two trading days of end of tenure of the trading plan with reasons thereof and supporting documents, if any.

(ii) Upon receipt of information from the insider, the compliance officer, shall place such information along with his recommendation to accept or reject the submissions of the insider, before the Audit Committee in the immediate next meeting. The Audit Committee shall decide whether such non-implementation (full/partial) was bona fide or not.

(iii) The decision of the Audit Committee shall be notified by the compliance officer on the same day to the stock exchanges on which the securities are listed.

(iv) In case the Audit Committee does not accept the submissions made by the insider, then the compliance officer shall take action as per the Code of Conduct.";

(5) in the note, after the words "market have assessed their views on the securities" and before the symbol ".", the words "except in situations beyond the control of the insider" shall be inserted;

(6) in the second paragraph of the note,

(a) after the word "the" and before the word "proviso", the word "first" shall be inserted;

(b) the words "six months" shall be substituted by the words "one hundred and twenty calendar days";

(c) the words "commencement of execution of the trading plan ought to be deferred" shall be substituted by the words "execution of the trading plan should not be commenced.";

(7) after the second paragraph of the note, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"The second proviso is intended to address the scenario where the insider has set a price limit for a trade and due to adverse fluctuation in market prices, the price of the security is outside the price limit set by the insider, the trade shall not be executed. However, if the insider wishes to trade irrespective of the fluctuation in market price, he may not set any price limit at the time of formulation of the trading plan."

IV. in regulation 5, sub-regulation (5) shall be substituted by the following, namely: -

"The compliance officer shall approve or reject the trading plan within two trading days of receipt of the trading plan and notify the approved plan to the stock exchanges on which the securities are listed, on the day of approval.".

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./200/2024-25]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 was published in the Gazette of India on January 15, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/21/85.

2. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 was subsequently amended on, -

   i. December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/59.

ii. January 21, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/02.

iii. July 25, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/23.

iv. September 17, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Third Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/32.

v. July 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2020/23.

vi. October 29, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2020/38.

vii. April 26, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2021/17.

viii. August 05,2021 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2021/37.

ix. November 24, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2022/108.

x. May 17, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/181.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2024.06.26 15:29:52 +05'30'